



AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



प्रेसनोट थाना छत्ता जनपद आगरा।

03.06.2022

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में नकली मोबिल ऑयल बनाने वाले माफिया अभियुक्त सारिक अहमद व सनी अहमद कुरैशी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कुर्की/सम्पत्ति जब्तीकरण (अनुमानित कीमत 3.5 करोड़ रुपये /-) की कार्यवाही.....

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माफियाओं के विरुद्ध की जा रही निरोधात्मक कार्यवाही के क्रम में श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान में, पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल नेतृत्व में सख्त एवं कठोर कार्यवाही करते हुये तथा इसी क्रम में मा० जिला मजिस्ट्रेट महोदय जनपद आगरा के आदेश पत्रांक न्यायालय जिलाधिकारी मण्डल आगरा, जनपद, तहसील वाद संख्या क्रमशः 4880/2022 व कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या डी202201010004880 व 4881/2022 व कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या डी202201010004881 सरकार बनाम अभियुक्त सनी अहमद कुरैशी सम्बन्धित थाना छत्ता पर पंजीकृत मु०अ०सं० 34/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट अन्तर्गत धारा 14(1) अधि० गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986 व अभियुक्त सारिक अहमद सम्बन्धित मु०अ०सं० 111/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट अन्तर्गत धारा 14(1) अधि० गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधि०, 1986 दिनांक 01.06.2022 के अनुपालन में निम्नलिखित सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश पारित किये गये।

उपरोक्त सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 03.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर आगरा, श्रीमान एसीएम द्वितीय, श्रीमान क्षेत्राधिकारी छत्ता, थाना प्रभारी छत्ता, थाना प्रभारी कमलानगर, थाना प्रभारी मण्टोला तथा अन्य पुलिस बल के साथ नकली मोबिल ऑयल बनाने वाले/गैंगस्टर अभियुक्त सनी अहमद कुरैशी सारिक अहमद उपरोक्त के द्वारा नकली मोबिल ऑयल निर्माण करते हुए कमायी गयी सम्पत्ति को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय जनपद आगरा के आदेशानुसार ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराते हुए कुर्क की गयी तथा अचल सम्पत्ति को ताला बन्दी कर सील सर्व मोहर किया गया। आम जनता को निर्देशित किया गया कि कोई भी व्यक्ति इन सम्पत्तियों को क्रय विक्रय न करे, यदि कोई व्यक्ति क्रय विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अभियुक्तगण का विवरण:-

1. सनी अहमद कुरैशी पुत्र इशरार निवासी हकीमान गली गुदड़ी मन्सूरख़ाँ थाना छत्ता जनपद आगरा।
2. सारिक अहमद पुत्र इशरार निवासी भाँड़ गली गुदड़ी मन्सूरख़ाँ थाना छत्ता जनपद आगरा।

अभि0 सनी अहमद कुरैशी

01. मकान की अनुमानित कीमत रू0 1,00,00,000/- एवं इस मकान के पुर्निर्माण/नवीनीकरण में व्यय अनुमानित कीमत रू0 20,00,000/-
02. 01 मोटरसाइकिल कीमत रू0 1,45,296/-
03. 02 कार कीमत रू0 24,58,915/-
04. 01 स्कूटर कीमत रू0 95,424/-
05. घरेलू सामान कीमत रू0 25,00,000/-
06. बैंकों में जमा राशि रू0 4,833.52/-

अभि0 सारिक अहमद उर्फ सारिक

01. मकान की अनुमानित कीमत रू0 90,00,000/- एवं इस मकान के पुर्निर्माण/नवीनीकरण में व्यय अनुमानित कीमत रू0 25,00,000/-
02. 05 स्कूटरों की कीमत रू0 4,43,593/-
03. 04 मोटरसाइकिलों की कीमत रू0 6,42,237/-
05. 02 कारों की कीमत रू0 26,52,936/-
06. 01 टेम्पों की कीमत रू0 3,30,000/-
07. घरेलू सामान की कीमत रू0 15,00,000/-

कुर्क की गयी सम्पत्ति की अनुमानित कीमत 3.5 करोड़ रुपये है।

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

अभि0 सनी अहमद कुरैशी

1. मु0अ0सं0 34/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना छत्ता जनपद आगरा ।
2. मु0अ0सं0 181/2011 धारा 420/467/471 भादवि थाना छत्ता जनपद आगरा ।
3. मु0अ0सं0 186/2020 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि व 63/65 कॉपीराइट एक्ट व 78/79 ट्रेडमार्क अधि0 थाना छत्ता जनपद आगरा ।
4. मु0अ0सं0 152/2019 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि व 63/65 कॉपीराइट थाना छत्ता जनपद आगरा ।
5. मु0अ0सं0 148/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना छत्ता जनपद आगरा ।
6. मु0अ0सं0 153/2017 धारा 354ख/504/506 भादवि थाना छत्ता जनपद आगरा ।
7. मु0अ0सं0 209/2017 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना छत्ता जनपद आगरा ।
8. मु0अ0सं0 187/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि व 63/65 कॉपीराइट एक्ट थाना खंदौली जनपद आगरा ।
9. मु0अ0सं0 310/2017 धारा 409/420/504/506/120बी भादवि थाना छत्ता जनपद आगरा ।

अभि० सारिक अहमद

1. मु०अ०सं० 111/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना छत्ता जनपद आगरा ।
2. मु०अ०सं० 206/2010 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि व 63/65 कॉपीराइट एक्ट व 78/79 ट्रेडमार्क अधि० थाना छत्ता जनपद आगरा ।
3. मु०अ०सं० 578/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि व 63/65 कॉपीराइट थाना एत्माद्वौला जनपद आगरा।
4. मु०अ०सं० 187/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि व 63/65 कॉपीराइट थाना खंदौली जनपद आगरा ।
5. मु०अ०सं० 181/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि व 63/65 कॉपीराइट थाना छत्ता जनपद आगरा ।

मीडिया सेल जनपद आगरा।